

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

5

पत्रांक: 283 / जि०यो-प्र०वि०स्वी० / 2024-25 दिनांक: 22 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 के क्रम में जनपद का परिव्यय निर्धारित कर एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राक्धानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति या निर्गत किये जाने के क्रम में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या - 07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रु०, अनुदान संख्या - 30 एस०सी०पी० हेतु 1712.40 लाख रु० तथा अनुदान संख्या - 31 टी०एस०पी० हेतु 425.70 लाख रु० इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रु० अर्द्धशासकीय के निर्वतन पर रखा गया है।

लोक निर्माण विभाग के चारो खण्डों की जिला योजना वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित परिव्यय रु० 756.00 लाख रु० है जिसमें प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट का परिव्यय 130.00 लाख रु० के सापेक्ष प्रथम किस्त में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट द्वारा 91.00 लाख रु० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है-

(घनराशि लाख रु० में)

क्रम सं०	खण्ड का नाम	अनुमोदित परिव्यय 2024-25 हेतु	प्रथम किस्त में आवंटित घनराशि			
			सामान्य	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	प्रा०ख० लो०नि०वि० अस्कोट					
1	सड़क एवं पुल	130.00	59.50	17.50	14.00	91.00
	योग-	130.00	59.50	17.50	14.00	91.00

कार्य का विवरण :-

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य स्वीकृत का वर्ष	कार्य की कुल लागत	कार्य के टेम्पर की घनराशि	कार्य में 2023-24 तक प्राप्त/व्यय घनराशि		भौतिक प्रगति प्रतिशत में	वर्ष 2024-25 में अनुमोदित घनराशि	वर्ष 2024-25 में प्रथम किस्त की राशि
					प्राप्त	व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जिला योजना सामान्य कार्य									
1	अस्कोट चमलेख मोटर मार्ग में दीवार, नाली एवं ड्रॉस ड्रेनेज का निर्माण कार्य।	2022-23	22.00	12.00	10.00	10.00	45%	12.00	8.40
2	बगडीहाट झुला पुल के एबटमेंट को सुस्था हेतु निर्माण कार्य	2023-24	7.00	4.00	3.00	3.00	45%	4.00	2.80
3	कोली कन्वलेट मोटर मार्ग में पक्की नाली निर्माण कार्य।	2024-25	5.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	2.80
4	नाली मोटर मार्ग में सेनपुर से धौला (आ०जा०) के कब्र मोटर मार्ग में सुस्था दीवार निर्माण एवं निकासी नाली निर्माण कार्य।	2024-25	5.00	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	3.50
5	कनालीखीन पीपली सड़क में मातोली से चमडुगरी कि०मी०-1 से आगे सुधारकार्य कार्य।	2024-25	20.00	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	3.50
6	हालीखेत से नाली मोटर मार्ग में आवश्यक स्थान पर दीवार का निर्माण कार्य।	2024-25	3.00	3.00	0.00	0.00	0%	3.00	2.10
7	अस्कोट बाजार में नाली निर्माण कार्य।	2024-25	4.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	2.80
8	अस्कोट कन्वलेट में नाली निर्माण एवं दीवार निर्माण कार्य।	2024-25	5.00	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	3.50
9	कनालीखीन पीपली हालीखेत मोटर मार्ग की कि०मी० 24 में नाली निर्माण।	2024-25	4.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	2.80
10	किमानसम क्षेत्र धारपुला में धरमलगाव से सेवी नदिर एक संपर्क मार्ग का निर्माण।	2024-25	5.00	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	3.50
11	किमानसम क्षेत्र धारपुला में धरमलगाव से संपर्क मार्ग का निर्माण।	2024-25	4.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	2.80
12	किमानसम क्षेत्र धारपुला में अन्तर्गत नाली संपर्क मार्ग का निर्माण।	2024-25	4.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	2.80
13	मोलापन से एकला एक संपर्क मार्ग का निर्माण।	2024-25	4.50	4.50	0.00	0.00	0%	4.50	3.15
14	झुलापुल नदु से नाला धार एक संपर्क मार्ग का निर्माण।	2024-25	5.00	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	3.50
15	कवापन संपर्क मार्ग का निर्माण।	2024-25	6.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	2.80
16	कब्र संपर्क मार्ग का निर्माण।	2024-25	5.00	3.00	0.00	0.00	0%	3.00	2.10
17	धरमलगाव संपर्क मार्ग का निर्माण।	2024-25	4.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	2.80
18	जीलकीली मुखा सड़क से धरमलगाव धार धार (जीलकीली) में संपर्क मार्ग का सुधार कार्य।	2024-25	5.50	5.50	0.00	0.00	0%	5.50	3.85
	योग		118.00	85.00	13.00	13.00		85.00	59.50

जिला योजना (एसकोट/एसकोटी)

जिला योजना (एसकोट/एसकोटी)									
1	गोवसां कोटली सड़क से खोंकोट से महतगोप बगना मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कार्य।	2020-21	42.00	7.00	35.00	35.00	80%	7.00	4.90
2	फसीला से खोंकोट तक मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुव्यारीकरण कार्य।	2021-22	30.00	7.00	19.00	19.00	65%	7.00	4.90
3	सिंगली-उड़मा-बस्तही मोटर मार्ग के तुलखाली से स्यालघर गोंव तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य।	2021-22	40.00	11.00	18.00	18.00	45%	11.00	7.70
योग			112.00	25.00	72.00	72.00		25.00	17.50
जिला योजना पैदल मार्ग (टीएसकोटी)									
1	खिानसमा क्षेत्र धारचूला के ग्राम दर में सम्पर्क मार्ग।	2024-25	4.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	2.80
2	खिानसमा क्षेत्र धारचूला के न्यू सोबला में सम्पर्क मार्ग।	2024-25	4.00	4.00	0.00	0.00	0%	4.00	2.80
3	खिानसमा क्षेत्र धारचूला के ग्राम बांगलिंग में सम्पर्क मार्ग।	2024-25	5.00	5.00	0.00	0.00	0%	5.00	3.50
4	ग्राम पंचायत सीसा में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग तीनतोला से नारायणआश्रम तक ट्रैकिंग रूट का सुव्यारीकरण।	2024-25	7.00	7.00	0.00	0.00	0%	7.00	4.90
योग			20.00	20.00	0.00	0.00		20.00	14.00
महायोग			250.00	130.00	85.00	85.00		130.00	91.00

उक्त शासनादेश में दिये गए निर्देशानुसार अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अस्कोट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2024-25 के अनुमोदित कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अस्कोट को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा0यो0आ0, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/ 2016-17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रू0 91.00 लाख (इक्यानवे लाख रुपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2- उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्याधिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4- जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे एवं तत्पश्चात् ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया में अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 8- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- 9- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 10- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 11- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।
- 12- उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्यूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI4I(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।
- 13- जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- 15- स्वीकृत की जा रही धनराशि एच0ओ0डी0 कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।
- 16- स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

17- जिन कार्यों को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यों में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की जाती है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

18- विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

19- उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।

20- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।

21- अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 के बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।

22. अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट की होगी।


जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।


संख्या: 223 / जि०यो० / प्रा०वि०स्वी० / 2024-25 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:

- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1. अधिशासी अभियन्ता, प्रा० ख० लोक निर्माण विभाग, अस्कोट ।
 2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।
 3. मुख्य कोषाधिकारी पिथौरागढ़ ।
 4. कोषाधिकारी डीडीहाट / अस्कोट / बेरीनाग / पिथौरागढ़।
 5. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
 6. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी।

प्रतिलिपि:

- सूचनार्थ प्रेषित।
1. आयुक्त, कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
 2. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ ।
 3. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
 4. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
 5. वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग, बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 6. मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़।
 7. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 8. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 9. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।


जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।